14/12/15 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 18/12/15 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सांगोद

18/12/15 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि 22/12/15 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सांगोद

22/12/15 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12-1-16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सांगोद

12-1-16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। अंतिम बहस सुनी जा चुकी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी व काश्तकार वर्णित अप्रार्थीगण स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश दि 31-03-2013 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निरस्त करते हुए वादग्रस्त विवादित रास्ते से यथास्थिति निर्णय होने तक प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 व 3 को बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय कलम के लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुदा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सांगोद

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

A 7-1

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 21/2013

पाबुदानसिंह उर्फ पाबुसिंह दत्तक पुत्र गायडसिंह राजपूत निवासी पींपासर तहसील व जिला नागौर
प्रार्थी

बनाम

1. भंवरसिंह दत्तक पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत निवासी पींपासर तहसील व जिला नागौर
2. खींवसिंह पुत्र बक्सीसिंह जाति राजपूत निवासी पींपासर तहसील व जिला नागौर
3. सुमेरसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी पींपासर तहसील व जिला नागौर
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर
5. उप पंजीयक नागौर

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानसिंह राठौड एडवोकेट — प्रार्थी
1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड एडवोकेट — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई नि ोधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 12-1-16

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्व. श्री जसवन्तसिंह के वारिस उतराधिकारी है। जसवन्त सिंह के दो पुत्र बक्सुसिंह व गायडसिंह हुए जिनका देहान्त हो चुका है और बक्सुसिंह के जायन्दा पुत्र प्रार्थी पाबुदानसिंह उक्त गायडसिंह के गोद गये व बक्सुसिंह के पुत्र लिछमणसिंह के खींवसिंह का जायन्दा पुत्र भंवरसिंह गोद गया तथा बक्सुसिंह की पुत्रीयां जेठीकंवर व भंवरकवंर ने अपने हिस्से की भूमि खींवसिंह व भंवरसिंह के हक में तर्क कर दी है इसलिए उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही खातेदार है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 220 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 222 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 82.06 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा व खसरा नम्बर 326

रकबा 93.15 बीघा, खसरा नम्बर 327 रकबा 9.19 बीघा वाके सरहद मौजा पींपासर स्थित रहते चले आये है।

माफिक राजस्व रेकर्ड व विधिक प्रावधानों अनुसार उक्त पुश्तेनी भुमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी का है। पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुवा है व संयुक्त खातेदारी व सहकब्जे काश्त की भूमि है और बिना विधिवत विभाजन के प्रत्येक सहखातेदार सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच भूभाग पर कब्जा काश्त रहता है व ऐसा ही विधिक प्रावधान है मगर बावजूद इसके अभी हाल ही में दिनांक 18.03.2013 को अप्रार्थी भंवरसिंह ने अपना कथित हिस्सा बताकर अप्रार्थी संख्या 3 सुमेरसिंह को वादग्रस्त अविभाजित भूमि का बेचान किया हैं जो अजनबी क्रेता की तारीफ में आता हैं तथा उक्त बेचान के आधार पर उक्त सुमेरसिंह अपने नाम नामान्तरकरण करवाने व अच्छी मौके की भूमि पर मनमर्जी अनुसार प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। जिससे उसे भी अप्रार्थी पक्षकार दर्ज करते हुऐ वाद वास्ते विभाजन, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को इस तरह से अविभाजित भूमि का बेचान दिनांक 18.03.2013 को कर देने व अब उक्त भूमि को आगे ओर उत्रोतर बेचान, गिरवी हस्तान्तरण करने, राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में मनमर्जी अनुसार परिवर्तन करने पर अप्रार्थीगण आमादा है और प्रार्थी को उसके हक हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करने की तैयारी है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की स्थिति है।

अतः आवेदन पेश कर निवेदन किया कि दौराने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त खेताय हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 220 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 222 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 82.06 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा, खसरा नम्बर 327 रकबा 9.19 बीघा वाके सरहद मौजा पींपासर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे न अन्य से करावें तथा उसके किसी भूभाग को बेचान, गिरवी, हस्तान्तरण नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में किये गये कथित बेचान के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की वाद के रोज की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जावें। अन्य अनुतोष जो लाभार्थ प्रार्थी हो प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मौके पर पक्षकारान की आपसी सहमती से पारिवारिक सेटलमेंट अनुसार अलग–अलग विभाजन होकर सीवों माठो से अलग–अलग कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है। उक्त भूमि में सें 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का रहता चला आया है। अप्रार्थी भंवरसिंह ने अपने बंट कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का विधिवत रूप से अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय नागौर में दिनांक 18.03.2013

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

पंजीबद्ध करवाया गया। जिस विक्रय पत्र पर बेचान की गई भूमि के स्पष्ट पडौस आदि दर्ज है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी जबरन कम किमत में भूमि खरीदना चाहता है। जिसे बेचान नहीं करने व अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर देने से उनसे यह झुठा वाद अप्रार्थीगण को नाजायज तंग परेशान करने के लिए पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

काउन्टर क्लेम :— हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 220 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 222 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 82.06 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा, खसरा नम्बर 327 रकबा 9.19 बीघा वाके सरहद मौजा पींपासर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि थी। उक्त भूमि में जैसा की वाद में वर्णित किया गया है व वंशावली में दर्ज अनुसार 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का निहित रहता चला आया हैं और प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि का आपसी पारिवारिक सेटलमेन्ट अनुसार अपनी स्वैच्छा से सम्वत् 2065 की आखातीज को मौखिक विभाजन कर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करसण करना शुरू कर दिया। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा में सें 23.05 बीघा उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा में सें 37 बीघा उत्तरी हिस्सा व खसरा नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा में सें 1/2 हिस्सा रकबा 9.15 बीघा उत्तरी हिस्सा रखा गया था। जिसमें सें अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 326 में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था। मुझ अप्रार्थी संख्या 3 सदभाविक कब्जा काश्तकार हूँ इसलिए अपनी खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि अपने बंट कब्जा काश्त खातेदारी की घोषित करवाने हेतु प्रतिवाद व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह काउन्टर आवेदन पेश है।

दौराने काउन्टर क्लेम प्रार्थी व दीगर अप्रार्थीगण को मुझ अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जा काश्त हक खातेदारी की भूमि में बेदखली करने से नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण काउन्टर आवेदन कर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भंव नहीं होगी जबकि मौके की स्थिति, राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात व विधिक प्रावधान अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे काश्त में प्रार्थी व दीगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने में ही है।

अतः दौराने काउन्टर आवेदन अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जा उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी करने व कराने से प्रार्थी व दीगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

काउन्टर प्रार्थना पत्र :— हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 220 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बिस्वा

सहायक कम्पटर (ग्रु.)
नागौर

गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 222 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर
223 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 82.06 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा
19.10 बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा, खसरा नम्बर 327 रकबा 9.19
बीघा वाके सरहद मौजा पींपासर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि थी।
उक्त भूमि में जैसा की वाद में वर्णित किया गया है व वंशावली में दर्ज अनुसार 1/2
हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का निहित रहता चला आया
हैं और प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि का आपसी पारिवारिक
सेटलमेन्ट अनुसार अपनी स्वैच्छा से सम्वत् 2065 की आखातीज को मौखिक विभाजन
कर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करसण करना शुरू कर दिया। जो बंटवाडा
स्कीम निम्नानुसार है–

(अ) प्रार्थी के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 231 रकबा 82.06 बीघा, खसरा
नम्बर 327 रकबा 9.19 बीघा, खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा में सें 20 बीघा
दक्षिणी तरफ का हिस्सा, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बिस्वा गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 220
रकबा 6 बिस्वा गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा में सें 1/2 भाग रकबा
46.10 बीघा दक्षिणी हिस्सा रखा गया है।

(ब) अप्रार्थी संख्या 1 भंवरसिंह के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 222
रकबा 15 बिस्वा गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.012 बीघा में सें 23.05 बीघा
उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा में सें 37 बीघा उत्तरी हिस्सा व
खसरा नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा में सें 1/2 हिस्सा रकबा 9.15 बीघा उत्तरी हिस्सा
रखा गया है।

(स) अप्रार्थी संख्या 2 खींवसिंह के बंट कब्जा काश्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 219
रकबा 6 बिस्वा गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा में सें 23.05 बीघा पूर्वी
हिस्सा, खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा में सें 36.15 बीघा पूर्वी हिस्सा व खसरा
नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा में सें 1/2 हिस्सा रकबा 9.15 बीघा दक्षिणी हिस्सा रखा
गया है।

पक्षकारान उपरोक्त विभाजन अनुसार अलग–अलग काबिज रहकर काश्त करते
आये है और उक्त बंटसुदा भूमि का पक्षकारान को अपनी मर्जी अनुसार उपयोग उपभोग
बेचान हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने बंट की
आराजी में सें खसरा नम्बर 326 में से अपना निहित हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 को
सहप्रतिफल बेचान कर बेचान की गई आराजी के बाकायदा पडौस आदि दर्ज करते हुए
विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 3 के हक में निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय नागौर में
पंजीबद्ध करवा दिया। जिससे खसरा नम्बर 326 में सें अप्रार्थी संख्या 1 के बंट के
सम्पूर्ण हिस्से का मालिक वक्त बेचान दिनांक 18.03.2013 से अप्रार्थी संख्या 3 मालिक
काबिज काश्तकार है। इसलिए उपरोक्त विभाजन व बेचान की गई भूमि अप्रार्थी संख्या 3
के नाम खातेदारी व बंट कब्जे काश्त की घोषित करवाकर अलग–अलग राजस्व रेकर्ड में
अमलदरामद करने व तदनुसार स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु प्रतिवाद पेश करना
आवश्यक हुआ है।

सहायक कलक्टर (मु.)
डीडवाना

अतः दौराने काउन्टर क्लेम अप्रार्थीगण के बंट कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि में दखलअन्दाजी करने व कराने से प्रार्थी व दीगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर कथन किया कि वादगत भूमि वाद में बतायी वंशावली अनुसार 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का होने की हद तक सही है। मगर काउन्टर क्लेमकर्ता का यह कथन गलत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि का आपसी पारिवारिक सेटलमेन्ट के अनुसार स्वैच्छा से सम्वत् 2065 की आखातीज को मौखिक विभाजन कर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करसण करना शुरू कर दिया हो। प्रार्थी का उक्त सम्पूर्ण खेतों में बराबर 1/2 हिस्सा निहित करता है जो विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस भौतिक विभाजन कर न्यायालय की डिक्री से ही अलग–अलग होना सम्भव है। उप पैरा संख्या अ, ब व स सरासर गलत होने से मानने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउन्टर आवेदन मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि पाबुदान सिंह प्रार्थी है जो गायडसिंह के खोले गये तथा भंवरसिंह ने जमीन दावा करने से 2 दिन पूर्व बेच दी। भंवरसिंह लिछमणसिंह के दत्तक पुत्र थे। खसरा नम्बर 326 में 31.16 बीघा भूमि पर क्रेता ने कब्जा करने की कोशिश की। दौराने दावा विक्रय के सम्बध में आर.आर.डी. 1989 पेज संख्या 685, आर.आर.टी. 2003 (1) पेज संख्या 373, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज संख्या 607, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज संख्या 666 की नजीरें पेश की। बिना विभाजन प्रवेश करने व विक्रय से रोका जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि पर प्रार्थी का 1/2 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा बनता है। जवाबदावा व काउन्टर क्लेम में विभाजन की स्कीम बताई गई है। जो भी रूलींग है कब्जे के सम्बध में है। राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन की नहीं है। बिना नामान्तरण के अन्य सुविधाओं से वंचित हो जायेगा। आर.आर.टी. 2002 (2) पेज संख्या 135 व आर.आर.डी. 2003 पेज संख्या 310 की नजीरें पेश की। कब्जा हमने क्रेता को दे दिया है। पुनः बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि काउन्टर क्लेम में बंटवाडे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी पाबुदान सिंह ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध खेत खसरा नम्बर 219, 220, 221, 222, 223, 231, 242, 326, 327 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करने एंव उसके किसी भूभाग को बेचान, गिरवी, हस्तान्तरण नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में किये गये कथित बेचान के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की वाद के रोज की यथास्थिति कायम रखने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 5 में प्रार्थी ने उक्त वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का होना दर्ज किया है तथा मद संख्या 6 में दिनांक 18.03.2013 को अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय करने का उल्लेख किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी को हिस्सा 1/2

सहायक कलक्टर (मु.)
सांचोर

होने को स्वीकार किया है तथा भूमि के मौखिक विभाजन के आधार पर कब्जा काश्त एंव अप्रार्थी संख्या 3 को की गई विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में होने का अंकन करते हुए अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी करने से रोकने का निवेदन किया। इसी तरह अप्रार्थी संख्या 3 ने काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे काश्त में प्रार्थी को दखअन्दाजी करने से रोकने का निवेदन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें सें अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को अपने हिस्से में सें भूमि का बेचान किया गया है। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों एंव वाद के तथ्यों के आधार पर पक्षकारान के मध्य वाद ना बढे इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी व काउन्टर क्लेम अप्रार्थीगण स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2013 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुए वादगत खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 220 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 222 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 223 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 82.06 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा 19.10 बीघा व खसरा नम्बर 326 रकबा 93.15 बीघा, खसरा नम्बर 327 रकबा 9.19 बीघा वाके सरहद मौजा पींपासर के रिकॉर्ड यथास्थिति ताफैसला वाद तक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12-1-16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर